सेवा में
कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद
झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा

विषय – मकान मरम्मत एवं छत ढलाई हेतु स्वीकृति

महाशय
मैं सुरेश कुमार जैन काशलीवाल, जैन मोहल्ला का निवासी नियमित रूप से कई सालों से Holding Tax का भुगतान कर रहा हूँ। मेरा मकान 60 वर्ष से ज्यादा पुराना होने के कारण छत गिर गया था तथा जर्जर स्थिति होने के कारण काफी क्षतिग्रस्त था जिसका मैं मरम्मत कर रहा हूँ। मेरा Holding No- 0270000223000A1 है।
मैं गरीब एवं आँख से विकलांग व्यक्ति हूँ। मैं और मेरा परिवार बहुत दयनीय स्थिति में रह रहें हैं।
मेरा मकान का क्षेत्रफल 1700 sq. feet के अंदर है। और मैं पुराने मकान की ही मरम्मत और छत ढलाई कर रहा हूँ। छत ढलाई एवं मकान कार्य बिल्कुल पुराने मकान के प्रतिरूप के अनुसार की जा रही है।
सभी दस्तावेज एवं ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन आपके माँग एवं निर्देशानुसार है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरे मकान की छत ढलाई एवं मरम्मत हेतु स्वीकृति दी जाए जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी
सुरेश कुमार जैन काशलीवाल
Mobile No - 8101327654

Suresh Kumar Jain Kashliwal.

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(जन शिकायत कोषांग)

ज्ञापांक 1506/ ज0शि0को0

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी,
–सह–जन सूचना पदाधिकारी,
जन शिकायत कोषांग,कोडरमा।

प्रेषित,

श्री सुरेश कुमार जैन काशलीवाल
जैन मोहल्ला, झुंमरीतिलैया
जिला–कोडरमा।

कोडरमा, दिनांक 06/09/2021

विषयः– वांछित सूचना की उत्तर सामग्री का प्रेषण।
प्रसंगः– आपका आवदेन पत्र दिनांक 06.09.2021

उपयुर्क्त विषयक प्रसांगिक आवेदन पत्र के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचित करना है कि आपके द्वारा दिनांक 04.09.2021 को उपायुक्त महोदय, कोडरमा के जनतादरबार में समर्पित आवेदन पत्र को पंजीकृत किया गया है जिसका नं0– CMP000800 है। उपायुक्त कोडरमा के निदेश के आलोक में आपके आवेदन पत्र कार्रवाई हेतु प्रशासक, नगर परिषद झुमरीतिलैया को kodermadm.in पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.09.2021 को ही भेजी गई है। वांछित सूचनाएँ कुल 01(एक) प्रति में संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त। (कुल 01 पृष्ठ में)

(हस्ताक्षर) 6/9/21

नोडल पदाधिकारी,
–सह–जन सूचना पदाधिकारी,
जन शिकायत कोषांग,कोडरमा।

CMP000800 04.09.2021

Forward

सेवा में
जिला अधिकारी महोदय
(02) कोडरमा, झारखण्ड

विषय - मकान मरम्मत कार्य रोकने हेतू नगर परिषद से अवैध निर्माण की नोटिस प्राप्त के संदर्भ में

महाशय

मैं सुरेश कुमार जैन काशलीवाल, जैन मोहल्ला का निवासी नियमित रूप से कई सालों से Holding Tax का भुगतान कर रहा हूँ। मेरा मकान 60 वर्ष से भी पुराना है और छत गिरने तथा जर्जर स्थिति होने के कारण मैं इसका मरम्मत कर रहा था। परन्तु झुमरी तिलैया नगर परिषद् के द्वारा नोटिस संख्या -1929, दिनांक - 19.08.21 प्राप्त होने पर मैं इस कार्य को स्थगित कर दिया हूँ। इस नोटिस के पीछे कैलाश चंद जैन काशलीवाल तथा उनके पुत्र-पौत्र का हाथ है क्योंकि धारा 144 के लिए इन्होंने ही बेबुनियादी केस किया था और उसको SDO साहब ने खारिज कर दिया। कैलाश चंद जैन काशलीवाल तथा उनके पुत्र-पौत्र हमें निरंतर परेशान कर रहें हैं और साथ ही धमकी दे रहें हैं। कभी बेबुनियादि 144, कभी पुलिस, कभी नगर परिषद द्वारा हमारा मकान का छत ढलाई करने में बाधा डाल रहें हैं। मैं एवं मेरे परिवार घर से बेघर हूँ।

मैं गरीब एवं आँख से लाचार व्यक्ति हूँ। किसी तरह से इस मकान की मरम्मत कर रहा हूँ। अगर मेरे परिवार के साथ किसी भी तरह का हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कैलाश चंद जैन काशलीवाल तथा उनके पुत्र-पौत्र होंगें। इसलिए महाशय से आग्रह है कि मेरे परिवार जो अभी दयनीय स्थिति में रह रहें हैं उसको एक छत मिल सकें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि नगर परिषद से हमारे मकान मरम्मत कार्य करने हेतू अनुमति प्रदान कराया जाए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा।

EO to stop any coercive action till further orders

आपका विश्वासी
सुरेश कुमार जैन काशलीवाल
Mobile No- 8101327654